



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092020-221723  
CG-DL-E-14092020-221723

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2020/भाद्र 23, 1942

No. 238]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2020/BHADRA 23, 1942

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2020

फा. सं. 1(14)/2019-एसपी-1.—केंद्र सरकार, चीनी मौसम 2019-20 (01 अक्टूबर, 2019 से 30 सितम्बर, 2020) के दौरान चीनी का निर्यात सुगम बनाने और इस प्रकार चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करके उन्हें चीनी मौसम 2019-20 के लिए किसानों को देय गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से चीनी के निर्यात पर हैंडलिंग, अपग्रेडिंग और अन्य कार्रवाई संबंधी लागत सहित विपणन लागत तथा अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन की लागत एवं माल भाड़ा प्रभारों पर किए गए व्यय हेतु चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने के लिए अधिसूचना सं. 1(14)/2019-एसपी-1 दिनांक 12.09.2019 द्वारा स्कीम अधिसूचित की थी।

2. केन्द्रीय सरकार दिनांक 12.09.2019 की उक्त अधिसूचना के पैरा 11 के अनुसरण में उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित परिवर्तन करती है:-

(क) पैरा 4(iii) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा:-

“प्रत्येक ट्रांच के लिए दावा अंतिम बिल ऑफ लेडिंग, जिसके लिए दावा किया जा रहा है, जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी (180) दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बिल ऑफ लेडिंग जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों के बाद लेकिन अधिकतम दो सौ सत्तर (270) दिनों तक अनुमेय राशि के 10 प्रतिशत की कटौती की शर्त के अध्येधीन विलम्ब से दावा प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। बिल ऑफ लेडिंग जारी करने की तारीख से दो सौ सत्तर (270) दिनों के बाद विचाराधीन माह विशेष के दौरान किए गए निर्यात के संबंध में कोई दावा अनुमेय नहीं होगा।”

(ख) पैरा 7 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा:-

“संबंधित चीनी मिल यह सहायता जारी किए जाने की तारीख से 240 दिनों के भीतर किए गए निर्यात के लिए निर्यात का बैंक प्रमाण-पत्र और बैंक द्वारा प्राप्त राशि की सूचना देगी। निर्धारित समय के भीतर निर्यात का बैंक प्रमाण-पत्र और निर्यात के लिए बैंक द्वारा प्राप्त राशि की सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहने से चीनी मिल को केंद्र सरकार द्वारा बाद में घोषित किसी भी अन्य स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने से वारित कर दिया जाएगा और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य स्कीम के संबंध में चीनी मिल को देय राशि से समायोजन करने सहित इस राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी।”

सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**

**(Department of Food and Public Distribution)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th September, 2020

**F. No. 1(14)/2019-SP-I.**—The Central Government, with a view to facilitate export of sugar during the sugar season 2019-20 (1st October, 2019 to 30th September, 2020) thereby improving the liquidity position of sugar mills enabling them to clear cane price dues of farmers for sugar season 2019-20, notified the Scheme for providing assistance to sugar mills for expenses on marketing costs including handling, upgrading and other processing costs and costs of international and internal transport and freight charges on export of sugar vide notification No. 1(14)/2019-S.P.-I dated 12.09.2019

2. Now in pursuance of para 11 of the said notification dated 12.09.2019, Central Government makes following changes in the said notification:—

(a) Para 4(iii) would be substituted by the following:—

“The claim for each tranche should be submitted within one hundred eighty (180) days from the date of issue of the last bill of lading for which claim is being made. Delayed submissions beyond one hundred eighty (180) days but up to a maximum of two hundred seventy (270) days from the date of issue bill of lading would be allowed, subject to a deduction of 10 per cent of the admissible amount. No claim shall be admissible after two hundred seventy (270) days from the date of issue of bill of lading with respect to exports made during the particular month under consideration.”

(a) Para 7 would be substituted by the following:—

“The sugar mill concerned shall submit bank certificate of export and realization by the bank for the exports made within 240 days from the date of release of assistance. Any failure to submit the bank certificate of export and realization by the bank for the exports within stipulated time would debar the sugar mill from availing benefit under any other scheme subsequently announced by the Central Government and action will be initiated for recovery of the amount including adjustment from dues of the sugar mill in respect of any other scheme being operationised by DFPD”

SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy.